17.36 hrs.

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

[AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE]

SHRI M. C. DAGA (Pali): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the pathy Central Council Act, 1973".

The motion was adopted.

SHRI M. C DAGA: Sir, I introduce the Bill

MR. CHAIRMAN: Shri Madhu Limaye He is not here. Shri Ranu Bahadur Singh He is not here. Shri Panda.

17.37 hrs

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

[AMENDMENT OF SECTION 80 AND INSERTION OF SECTION 80A]

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908"

The motion was adopted.

SHRI D. K. PANDA: Sir I introduce the Bill.

17.37 hrs.

MOTHER'S LINEAGE BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, we take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 5th April, 1974:—

"That the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother, be taken into consideration."

There is one amendment in the name of Shri Daga. Are you moving the amendment?

SHRI M C DAGA (Pali): Sir, I move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd August, 1974." (1)

MR. CHAIRMAN: Since Shri Limaye is not here I have given permission to Shri Daga to move his amendment. Shri Madhu Limaye was on his legs last time.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Shri Limaye has already spoken.

MR CHAIRMAN: But he has not concluded. There is a problem now about the Private Members' Business. The Bihar discussion has taken so long. And so, if we have to take up the Private Members' Business, it mean the House will have to sit upto 8 O'clock I would like to know the pleasure of the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K RAGHU RAMAIAH): I had a talk with my friends on the Opposite side I think we shall go on till 18.30 hours if there are speakers. Or else, let us go on till 18 hours.

---

*Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19-4-74.

MR. CHAIRMAN Is there anybody else who wants to speak on Shri Limaye's Bill? I think Shri S. P Bhattacharyya wants to speak on the Bill.

SHRI S. P BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, I rise to support Shri Limaye's Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother He has brought forward this Bill for a noble cause for the reasons stated in the Bill He has quoted the story of the 'Jabali', a maid servant in the ashram of sages Satyakam, the son of Jabali, was a respected sage This son of his mother when questioned about the identity of his father pleaded ignorance, went to his mother and when informed that she could not say definitely who his father was, came back and gave a truthful account of what his mother had told him He was respected as an honoured sage

The main purpose of the Bill is that in our country, even now, we do not give the self-respect to the new-born children In our Childrens Adoption Bill we have tried to give some respect to the boys or girls who are born without a proper social custom Shri Madhu Limaye has brought this thing with a noble ideal so that it must not be compulsory that a boy must give his introduction or a female child must give her introduction in the name of her father Mother is sufficient to do that Mother's name is sufficient and that should be honoured I fully support it I think respect must be given to the new-born child without considering whether he has a known father or not because a new born child is pure and honest. I fully support the Bill I think Government should consider the mood of the Bill and should give it proper implementation

MR CHAIRMAN: Shri M C Daga

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति जी इस बिल के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। जो बिल पेश किया गया है, उसके ऑबजेक्ट्स कुछ अलग हैं और बिल की जो बात हैं, उसके जो मेन्शन्स हैं वह अलग हैं। बिल के ऑबजेक्ट्स में यह कहा गया है

"The concept of "illegitimacy" and the practice of tracing one's lineage solely from the father's side is one such reactionary and fossilized concept. The reactionary attitudes which form the unspelt basis of the present official and non-official practices and decisions of the courts will have to be discarded completely if the egalitarian principles of the Constitution are to inform and elevate our social life"

आज तक मैंने कोई भी ऐसा डेसीशन सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का नहीं पढ़ा या कहीं भी ऐसा डेसीशन नहीं हुआ है जिसमें यह कहा हो कि इल्लेजिटिमेट चाइल्ड का कहीं रेकार्ड करने से या नाम लिखने से इनकार कर दिया हो। आज तक यह बात नहीं हुई कि किसी ने जा कर यह कहा हो कि मेरे पिता का नाम मुझे नहीं पता है और उसको कह दिया हो कि तुम्हारा रेकार्ड नहीं करेंगे। सवाल यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर, सोसाइटी के अन्दर एक घर होता है और उसमें पति पत्नी दोनों के सम्बन्ध से बच्चा होता है, उसकी रक्षा होती है। लेकिन इल्लेजिटिमेट चाइल्ड की रक्षा करने वाला कौन होगा? यह एक बड़ा सवाल है जैसे मिस्टर बैनर्जी तो जानते हैं कि जिनका कुटुम्ब है, कुटुम्ब के अन्दर बच्चा पैदा होता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अकेले न बाप का है न अकेले मां का है, दोनों का है। जब दोनों का संबंध होता है तब बच्चा पैदा होता है और उस चाइल्ड को फैमिली या वह कुटुम्ब मेन्टेन करता है। . . (व्यवधान) . . . . अपनी सोसाइटी के

अन्दर जो फेमिली लाइफ है वह एक मोश इन्स्टीट्यूशन हैं और उस इंस्टीट्यूशन को कायम रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि या फिर ऐसा प्रापाज होना चाहिए देश के अन्दर उनकी ओर से कि फेमिली लाइफ को खत्म कर देना चाहिए और जैसे कि हमारे कई लोग जो शादी किए हुए नहीं हैं ऐसे ही उनको कहना चाहिए कि लोग शादी न करे, मैरिज की इस्टीट्यूशन का खत्म कर दिया जाये। यह बहुत बडा सवाल इसमें पैदा होता है। आज आप इस बिल का पास करने के पहले इल्लेजिटिमेसी का बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके लिए आप यह तरीका भी अख्तयार कर ले कि मैरिज जो एक मोशल इन्स्टीट्यूशन है उसका आप खत्म करदे तो यह बात कुछ समझ मे नही आती हैं। मैं अभी इस बात का समझाने की कोशिश करूगा जितना मैं किताबो मे समझता हु। इसका जो परपज है वह यह है कि

"After the coming into force of the Act, it shall be lawful for any citizen of India to refuse to fill a form requiring him or her to give him or her father's name or her husband's name and which does not give him or her the option to give the name of his or her mother"

यह प्रश्न और तरह का है। आजकल का समाज सब समझता है। लेकिन समाज मे यह जो आप कहते हैं कि इल्लेजिटिमेट जो चील्ड्रेन हैं समाज में उन के लिए आदर होना चाहिए तो यह तो बिलकुल मानी हुई बात है कि आजकल का समाज अपना विकास कर रहा है, क्या आप यह कहना शुरू कर देंगे कि आज से हिन्दुस्तान के अदर सारी फेमिलीज जो है उनके अदर शादी नही होनी चाहिए?

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) मातृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो, यह उन्होंने लिखा है और मातृ सत्तात्मक तथा पितृ-सत्तात्मक दोनो समाज हमारे यहा पहले से चले आ रहे है। आप जानते नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जैसा समझता हू वह बता रहा हू। जो एम० पी० सब बैठे हैं इन का नाम मा के नाम से लेना चाहिए, यह अच्छी बात आप कह रहे है.. (व्यवधान) ..

मै ने यह कहा कि चाइल्ड पर मा और बाप दोनो का अधिकार है और दोनों का जो नाम है उन दोनो के नाम से होना चाहिए। आप जो यह कहना चाहते है कि अगर कोई इल्लेजिटिमेट चाइल्ड हो गया है समाज मे तो उसका निरादर नही होना चाहिए, यहा तक तो मैं मानता हू। लेकिन हमारे देश के अन्दर और जहा डाइवोर्स की प्रथा है यू० एस० ए० के अन्दर 70 परसेंट डाइवोर्स वहा होने लग गए। वहा क्या हालत हो गई? वहा पर फेमिली इन्स्टीट्यूशन खत्म हो गई, लडके का स्वास्थ्य विकास तभी हो सकता है जब मां और बाप दोनों का प्रेम होता है... (व्यवधान).... आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कह लीजिए तब मै बोलू.... (व्यवधान)...

[श्री मूल चन्द डागा]

If he says this is not the purpose of the Bill, let him say what the purpose is . . (*Interruptions*) . . . . . . Let him say what the purpose of the Bill is and then I shall follow.

MR CHAIRMAN: If I permit him to speak in that case he will not be able to continue his speech

SHRI R R. SHARMA: Kindly give me a few minutes.

He can have his say afterwards.

[श्री मूल चन्द डागा]

इस के अन्दर उन्होंने क्या कर दिया। आग जाने के बाद कि भारत का अपने पति का नाम बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह कह दिया कि औरत को यह भी जरूरी नहीं है कि अपने हस्बैंड का नाम बताए। अगर उस का कोई हस्बैंड है तो उस का भी नाम लेने से इनकार कर दे।

एक माननीय सदस्य हस्बैंड का नाम लेते नहीं हैं हिन्दू समाज में।

श्री मूल चन्द डागा : इस में यह कर दिया और शायद यह इस के अन्दर परपज है

'to refuse to fill a form requiring him or her to give his or her father's name or her husband's name and which does not give him or her the option to give the name of his or her mother"

अगर आज हिन्दुस्तान में हम ने यह प्रथा शुरू कर दी कि हर जगह डाइवोर्स हो जायें और उन से पूछा जाये कि तुम्हारा जो लड़का हुआ था तो तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम था, वहां कहे कि मेरे हस्बैंड का नाम नहीं पूछ सकते, तो मैं समझता हूं कि जो फैमिली लाइफ हमने बनाया है, जो कुछ संस्कृति हमने बनाई है और भारतीय संस्कृति के जो पुजारी हैं जनसंघ वाले क्या वे चाहते हैं इस फैमिली इंस्टीट्यूशन को नहीं मानना चाहिए? मैं तो अभी तक यह समझता हूं जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है कि जो बच्चे कहीं किसी कारण से इल्लेजिटिमेट हो जायें उनका निरादर समाज में नहीं होना चाहिए—इस प्वाइन्ट को मैं भी मानता हूं। अगर कोई बच्चा इल्लेजिटिमेट ढंग से हो गया है तो उसका लालन पालन गवर्नमेंट या समाज करे उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इसके लिए किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कान्स्टीट्यूशन में भी नहीं है। अगर कोई लड़का इल्लेजिटिमेट है तो मैं समझता हूं कान्स्टीट्यूशन में कहीं यह प्राविधान नहीं है कि उसको अधिकार कम हैं। कान्स्टीट्यूशन में उसके बराबर अधिकार हैं। एक सिटिजन के जो राइट्स हैं वही उसके भी हैं। मैं ने तो किसी भी कानून में नहीं पढ़ा है जिसमें यह हो। आप यह कहेंगे कि सक्सेशन और इनहेरिटेन्स का ला लागू नहीं होता है तो मैं समझता हूं यह सवाल ऊपर है और ला आफ इनहेरिटेन्स और ला आफ सक्सेशन का लागू करने के लिए हमें सोचना होगा। जो हमारी फैमिली लाइफ है, जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उसके अन्दर हम कर दें। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उनके एक तो सीधी सैकेंड वाइफ होती थी और—यह रखैल

और रखते थे जिनसे बच्चे होते थे तो उनको भी हक हो जाये, इस बात का सवाल है। आप उस इन्स्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। लीगली वेडेड वाइफ को तो देना चाहते हैं लेकिन कोई पास रखता है, उससे बच्चा हो गया, वह इल्लेजिटिमेट चाइल्ड है उसका भी अधिकार होगा, मैं समझता हूं उसको अधिकार नहीं होना चाहिए सक्सेशन और इनहेरिटेन्स में। जो बिल रखा है उसमें यह है:

"After the coming into force of this Act, it shall be lawful for any citizen of India...."

ला मिनिस्टर साहब बतायेंगे इल्लेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में कि कौन सी बात किस बिल मे है। वह फार्म फिल करके देता है, उसमें फादर का नाम नहीं है, वह लिखकर नहीं देता है तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट सर्विस मना है? कही मना नहीं है। तो यह जो इल्लेजिटिमेट चाइल्ड होते क्यों हैं समाज में? कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली लाइफ नही होती है। अपने को बड़ा क्रान्तिकारी साबित करने के लिए यह बिल पेश किया है। तो हमारा जो फैमिली लाइफ का इंस्टीट्यूशन है ..

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): आप समझते हैं मधु लिमये जी की फैमिली लाइफ नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा: इसमें मधु लिमये जी की फैमिली का सवाल नहीं है। हम जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं।

What is legitimacy?

"By determining the social placement of the child, the rules of legitimacy help to define the role obligations of adults to the child. The infant is a symbol of many important role functions among adults. It indicates an intimacy between parents, and its existence makes continuing demands on a network of adults."

SHRI S. M. BANERJEE: Read the whole thing. You are reading only a portion.

SHRI M. C. DAGA: Yes. It says:

"If the child has no acknowledged father, or the "wrong" father, these obligations are ambiguous or unmet, or run counter to already established duties. The aready married father of an illegitmate child cannot take care of it without failing to some extent in his obligations to this own family, even if he is wealthy. The child whose parents are not married does not belong to the father's family, and neither the father nor his family needs to meet more than minimal legal obligations to the child. The child's position is ambiguous,...."

MR CHAIRMAN: If you go on reading it, it will consume the entire time If you want to read it in full, you may read it to them outside the House.

श्री मूल चन्द डागा: उन्होंने बताया कि इटली में जब कानून लागू किया उसके पहले 1956 में इल्लेजिटिमेट चाइल्ड 16 परसेन्ट थे और 1968 में 58 परसेन्ट हो गए। पेरू में 43 परसेन्ट इल्लेजिटिमेट चाइल्ड हैं। इससे पता चलता है हिन्दुस्तान में इस कानून को लागू करने से क्या फायदा हो सकता है। कोलंबिया में 28 परसेन्ट, पनामा में 71 परसेन्ट हैं। मैं ने

[श्री मूल चन्द डागा]

यह बताने की कोशिश की है कि उन कन्ट्रीज मे क्या हालत हुई है। जहा पर इल्लजिटिमेट चिल्ड्रेन पैदा होते है वहा कोई ज्यादा शान्ति हुई हो, ऐसी बात नही है। जहा पर फैमिली लाइफ ठीक नही होती है वहा पर ही यह ज्यादातर होता है।

MR CHAIRMAN How long will you take to conclude? Or are you concluding?

SHRI M C DAGA 15 minutes more

MR CHAIRMAN We have to rise at 6 O'clock Therefore, I would like to know the pleasure of the House, whether they would like the House to continue to sit for some more time

SHRI K RAGHU RAMAIAH We may adjourn

18 00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)

IGIPND—M—426 L. S. 10-6-74—08-6-74